

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाणपत्र का प्रपत्र

जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है उसे अपने दावे के समर्थन में, नीचे दिए गए प्रपत्र पर, जिलाधिकारी या उस जिले, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता/पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी से, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाण-पत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी होगी। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें उम्मीदवार, अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त, सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल स्वअभिप्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा, कोई अन्य प्रमाणित या सत्यापित प्रतिलिपि नहीं।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.....पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी
ग्राम/कस्बा*.....जिला/डिविजन*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....के/की.....
.....जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैं:-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950*, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950*
- संविधान (अनुसूचित जाति) संघ शासित प्रदेश आदेश, 1951*, संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ शासित प्रदेश आदेश, 1951*
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची(परिशोधन) आदेश, 1956, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1956, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र(पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976* द्वारा यथासंशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959@
- संविधान (दादरा एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा एवं नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
- संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

श्री/श्रीमती/कुमारी और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*
जिला/डिविजन.....राज्य/संघ शासित प्रदेश * में रहता है।

हस्ताक्षर.....

* * पदनाम
राज्य/संघ शासित प्रदेश
कार्यालय मुहर

स्थान

दिनांक

*जो लागू न हो उसे काट दें।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

नोट : यहाँ प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

*अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त-उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडियरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुक मजिस्ट्रेट/एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो/उस क्षेत्र का सब डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

नोट: तमिलनाडू राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

परिशिष्ट-3

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*पुत्र/पुत्री* श्री
ग्राम/कस्बा जिला.....प्रदेश के निवासी समुदाय से
संबंधित हैं, जो निम्नलिखित के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है:

1. भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1, सं. 186 दिनांक 13/09/93 में प्रकाशित संकल्प सं.12011/68/93- बीसीसी दिनांक 10/09/93.
2. भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1, सं. 163 दिनांक 20/10/94 में प्रकाशित संकल्प सं.12011/10/94- बीसीसी दिनांक 19/10/94.
3. भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1, सं. 88 दिनांक 25/05/95 में प्रकाशित संकल्प सं.12011/7/95- बीसीसी दिनांक 24/05/95.
4. भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1, सं. 210 दिनांक 11/12/96 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/96- बीसीसी दिनांक 06/12/96.
5. भारत के असाधारण राजपत्र के सं. 129 दिनांक 08/07/1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93- बीसीसी.
6. भारत के असाधारण राजपत्र के सं. 164 दिनांक 01/09/1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/12/96- बीसीसी
7. भारत के असाधारण राजपत्र के सं. 236 दिनांक 11/12/1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/99/94- बीसीसी
8. भारत के असाधारण राजपत्र के सं. 239 दिनांक 03/12/1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/13/97- बीसीसी
9. भारत के असाधारण राजपत्र के सं. 166 दिनांक 03/08/1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/12/96- बीसीसी
10. भारत के असाधारण राजपत्र के सं. 171 दिनांक 06/08/1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93- बीसीसी
11. भारत के असाधारण राजपत्र के सं. 241 दिनांक 27/10/1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/98- बीसीसी
12. भारत के असाधारण राजपत्र के सं. 270 दिनांक 06/12/1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/88/98- बीसीसी
13. भारत के असाधारण राजपत्र के सं. 71 दिनांक 04/04/2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/36/99- बीसीसी

श्री/श्रीमती/कुमारी*तथा/या उनका परिवार साधारणतया प्रदेश के
..... जिला में रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे यथासंशोधित भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के
ओएम सं. 36033/3/2004-स्था(रिस) दिनांक 09.03.2004 (दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था (एससीटी) की
अनुसूची) के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
जिलाधीश या उपायुक्त आदि
मुहर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नोट :

- (अ) यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-20 में है।
(ब) जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:-

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त-उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के
स्टाईपेंडियरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त(फर्स्ट
क्लास स्टाईपेंडियरी मजिस्ट्रेट से नीचे की रैंक का न हो)।
(ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
(iv) उस क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ ----- की रोजगार सूचना सं. ----- से संबंधित पदों के लिए आवेदन करते समय आवेदन के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा जमा किये जाने वाले घोषणा पत्र का प्रारूप

घोषणा

मैं----- पुत्र/पुत्री, श्री-----, निवासी ग्राम/शहर/नगर ----
-----जिला----- राज्य----- एतद्वारा
घोषणा करता/करती हूँ कि मैं -----(अपनी उपजाति लिखें) समुदाय से संबंधित हूँ, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93- स्था. (एस सी टी) में दिये गये आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गयी है। यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 के उपरोक्त निर्देशित कार्यालय ज्ञापन और तदन्तर जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/2/2004- स्था (निवास) दि. 09.03.2004 की अनुसूची के कॉलम 3 में निर्दिष्ट व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

स्थान -----

तारीख -----

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

विकलांग (पी डब्ल्यू डी) व्यक्तियों के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र का प्रारूप
संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं.-----

दिनांक -----

विकलांगता प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री----- पुत्र/पुत्री श्री -----, उम्र ----- लिंग- पुरुष/महिला, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, स्थायी तौर पर नीचे दर्शायी गयी विकलांग कोटि के अंतर्गत आते हैं/आती हैं -----
- (क) लोकोमोटर या मस्तिष्काघात
- (i) बीएल (BL) दोनों पैर प्रभावित लेकिन बाजू नहीं
(ii) बी ए (BA) दोनों बाहूँ प्रभावित (क) दुर्बल प्रसार
(ख) कमजोर पकड़
- (iii) ओ एल (OL) एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (क) दुर्बल प्रसार
(ख) कमजोर पकड़
- (iv) ओ ए (OA) एक बाहूँ प्रभावित (दाईं या बाईं) (क) दुर्बल प्रसार
(ख) कमजोर पकड़
- (v) बी एच (BH) सख्त पीठ तथा कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)
- (vi) एम डब्ल्यू (MW) मांसपेशी दुर्बलता तथा सीमित शारीरिक सहन शक्ति
- (ख) दृष्टिहीनता या कमजोर दृष्टि : (ग) श्रवण विकलांगता :
- (i) बी (B) नेत्रहीन (i) डी (D) बधिर
(ii) पी बी (PB) आंशिक नेत्रहीन (ii) पी डी (PD) आंशिक बधिर
(जो लागू न हो उस कोटि काट दें)

अपना हाल का रंगीन फोटो चिपकाएं जिसमें विकलांगता दिखे। (चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा फोटो अभिप्रमाणित किया जाए)

फोटोग्राफ के नीचे उपर्युक्त बॉक्स में उम्मीदवार का हस्ताक्षर

2. इस अवस्था में वृद्धि हो सकती है/वृद्धि नहीं हो सकती है/सुधार की गुंजाइश है/सुधार की गुंजाइश नहीं है। ----- वर्ष ----- महीने के पश्चात इस मामले के पुनर्निर्धारण की अनुशांसा की जाती है/अनुशांसा नहीं की जाती है।
3. इनके मामले में विकलांगता का प्रतिशत ----- है
4. श्री/श्रीमती/सुश्री* ----- अपने कार्य के निष्पादन में निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं :-

- (i) एफ (F)- अंगुलियों से निष्पादित किये जाने वाले काम
(ii) पीपी (PP)- खींचकर तथा धक्के लगाकर किये जाने वाले कार्य
(iii) एल (L)- उत्थापन (लिफ्टिंग) द्वारा किये जाने वाले कार्य
(iv) केसी (KC)- घुटने के बल बैठकर तथा क्राउचिंग द्वारा किये जाने वाले कार्य
(v) बी (B)- झुककर किये जाने वाले कार्य
(vi) एस (S)- बैठकर किये जाने वाले कार्य
(vii) एसटी (ST)- खड़े होकर किये जाने वाले कार्य
(viii) डब्ल्यू (W)- चलते हुए किये जाने वाले कार्य
(ix) एसई (SE)- देखकर किये जाने वाले कार्य
(x) एच (H)- सुनकर/बोलकर किये जाने वाले कार्य
(xi) आर डब्ल्यू (RW)- पढ़कर या लिखकर किये जाने वाले कार्य

हाँ	नहीं	

(चिकित्सक के हस्ताक्षर)

नाम-----

पंजीयन सं.-----

सदस्य, चिकित्सा बोर्ड

* जो लागू न हो उसे काट दें

(चिकित्सक के हस्ताक्षर)

नाम-----

पंजीयन सं.-----

सदस्य, चिकित्सा बोर्ड

(चिकित्सक के हस्ताक्षर)

नाम-----

पंजीयन सं.-----

सदस्य, चिकित्सा बोर्ड

स्थान -----

तारीख -----

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर (मुहर सहित)

टिप्पणी : (i) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार की सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उप धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.1996 को प्रकाशित विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार की सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) नियम, 1996 के अनुसार चिकित्सा बोर्ड विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी होगा जिसका विधिवत गठन केन्द्र या राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार कम से कम 03 सदस्यों का चिकित्सा बोर्ड गठित कर सकती है जिसमें से एक सदस्य उस क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो यथा स्थिति लोकोमोशन/श्रवण व वाक् निःसक्तता, मानसिक निःसक्तता और कोढ़ आरोग्यता का निर्धारण कर सके।

(ii) ऐसे मामले में जहाँ विकलांगता अस्थायी है वहाँ प्रमाण-पत्र 05 वर्ष के लिए वैध होगा तथा जो स्थाई रूप से विकलांग हो चुके हैं वैधता को 'स्थायी' दिखाया जाएगा।

दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों द्वारा/ऐसे उम्मीदवारों द्वारा जिनकी लिखने की गति सेरिब्रल पाल्सी के कारण प्रभावित होती हो, जमा किया जाने वाला घोषणा पत्र

उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले प्रतिलेखक (स्क्राइब) का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम-----
2. उम्मीदवार की जन्म-तिथि-----
3. प्रतिलेखक (स्क्राइब) का नाम-----
4. प्रतिलेखक के पिता का नाम-----
5. प्रतिलेखक का पता
(क) स्थाई पता -----

(ख) वर्तमान पता -----

कंट्रोल सं. (कार्यालय उपयोग के लिए)
प्रतिलेखक का हाल का पासपोर्ट आकार (4 से.मी. x 5 से.मी.) का रंगीन फोटो चिपकायें (रंगीन फोटो 03 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए)

6. प्रतिलेखक की शैक्षणिक योग्यता -----
7. उम्मीदवार का प्रतिलेखक से संबंध,
यदि कोई हो -----
8. घोषणा

फोटोग्राफ के नीचे दिये गये उपरोक्त
बॉक्स में प्रतिलेखक (स्क्राइब) का हस्ताक्षर

हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विवरण हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। परीक्षा के समय दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों/प्रतिलेखकों के आचरण के बारे में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के अनुदेशों को हमने पढ़ लिया है/हमें पढ़ कर समझा दिया गया है तथा हम उनका अनुपालन करेंगे। हम यह भी घोषणा करते हैं कि

- (क) प्रतिलेखक (स्क्राइब) की शैक्षिक योग्यता आवेदित पद के लिए निर्धारित योग्यता से कम है
 - (ख) प्रतिलेखक का शैक्षिक विषय वही है जो उम्मीदवार का है क्योंकि आवेदन सामान्य पदों के लिए है/प्रतिलेखक का शिक्षा संकाय उम्मीदवार से भिन्न है क्योंकि आवेदन विशेषज्ञ पद के लिए है (जो संबंधित न हो उसे काट दें)
 - (ग) प्रतिलेखक ने उपरोक्त योग्यता में 60% से अधिक अंक प्राप्त नहीं किया है
- * जो संबंधित न हो, उसे काट दें।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

उपरोक्त बॉक्स में उम्मीदवार
के बायें अंगूठे का छाप

प्रतिलेखक (स्क्राइब) के हस्ताक्षर

उपरोक्त बॉक्स में प्रतिलेखक
के बायें अंगूठे का छाप

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों की स्वघोषणा

(रोजगार सूचना सं. ----- कोटि सं. ----- पद-----के लिए आवेदन करते समय रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्र का प्रारूप)

घोषणा

मैं----- पुत्र/पुत्री श्री----- निवासी गली----
----- ग्राम/शहर/नगर ----- जिला----- राज्य----- एतद्वारा
घोषणा करता हूँ कि मैं ----- से संबंधित हूँ ।
(केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् मुस्लिम/सिक्ख/इसाई/बौद्ध/ पारसी होने का उल्लेख करें)

तारीख -----

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान -----

उम्मीदवार का नाम

टिप्पणी- दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसे उम्मीदवारों से जो परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करते हैं, अपेक्षा की जाएगी कि वे गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् मुस्लिम/सिक्ख/इसाई/बौद्ध/पारसी) से संबंधित होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करें)

प्रोफार्मा-ए

पत्र सं० ई(आरआरबी)/2009/25/21 दिनांक 28.10.2009 के पैरा 3 के अनुसार लेटर पैड पर जारी किए जाने वाले आय प्रमाण पत्र का प्रपत्र।

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क की माफी के लिए आय प्रमाण पत्र

1. अभ्यर्थी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. आयु :
4. निवास का पता :
5. वार्षिक परिवारिक आय :
(संख्या तथा शब्द दोनो में लिखें)
6. जारी करने की तिथि :
7. हस्ताक्षर : _____
(नाम)
8. जारी करने वाले अधिकारी की मुहर :

नोट : आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को चिन्हित करने के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्न प्राधिकारी प्राधिकृत हैं:-

1. जिला अधिकारी या कोई राजस्व प्राधिकारी तहसीलदार के स्तर तक।
2. लोक सभा के वर्तमान सांसद जो संबंधित व्यक्ति के संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हों।
3. केन्द्र सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या अन्य प्रमाण पत्र जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी से मान्यता प्राप्त हो।
4. केन्द्रीय मंत्री देश के किसी भी भाग के किसी भी व्यक्ति के लिए उपमुकाधि/भती को अनुशंसा कर सकते हैं।
5. राज्य सभा के वर्तमान सांसद जो सामान्यतः संबंधित अभ्यर्थी के जिला में निवास करते हों।